



कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
फतेहपुर-शेखावाटी 332301
जिला : सीकर (राजस्थान)


M.9414042027
dean.coafatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ() / लेखा / कृ.महा. / एफटीआर / 2023 / 464

दिनांक: 29.09.2023

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी के फार्म पर रबी 2023-24 की विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 20-24 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 09.10.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 100/- रुपये केशियर को नकद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रुपये 100/- का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा छुटने के तुरन्त बाद 1000/- प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि कार्यालय में बैंकर चैक/डी.डी. या नकद जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 09.10.2023 को दोपहर बाद 02.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in कार्यालय में देखा जा सकता है।


अधिष्ठाता

Dean

College of Agriculture
(S.K.N. University of Rajasthan)
Fatehpur

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. फार्म इंचार्ज, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी ।
5. केशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी ।
6. नोटिस बोर्ड, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी ।


अधिष्ठाता

Dean

College of Agriculture
(S.K.N. University of Rajasthan)
Fatehpur

कृषि महाविद्यालय
श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
फतेहपुर-शेखावाटी 332301
जिला : सीकर (राजस्थान)

बीज उत्पादन रबी फसलें – वर्ष 2023-24 हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा।

1.	निविदा फार्म शुल्क	रु 100
2.	निविदा संदर्भ	निविदा प्रपत्र हिस्सा आधारित खेती (रबी 2023-24)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंगन (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्तें)
4.	निविदा प्राप्त करने का समय	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	09.10.2023 दोपहर 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि व समय	09.10.2023 दोपहर 02.00 बजे
7.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर - 332301



Dean
College of Agriculture
(SIN) FATEHPUR
(Sector)

कृषि महाविद्यालय

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
फतेहपुर-शेखावाटी जिला : सीकर (राजस्थान) 332301

निविदा प्रपत्र

हिस्सा आधारित खेती :-

1. योजना का नाम:	रबी फसलें - वर्ष 2023-24 हिस्सा आधारित खेती	
2. बजट मद:	रिवोल्विंग फंड, रबी 2023-24	
3. कार्य की अनुमानित अवधि:	6 माह (एक सीजन)	
4. अमानत राशि की प्रकृति व राशि:	सफल निविदादाता को 1000/- प्रति हैक्टर की दर से डी0डी0 /नकद कार्यालय में जमा करवानी होगी।	
5. निविदा खोलने की दिनांक व समय :-	09.10.2023 दोपहर: 2.00 बजे	
6. निविदादाता :	कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।	
क्र.सं	बोर्ड जाने वाली फसल का नाम	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)
1	सम्भावित बोर्ड जाने वाली फसलें - गेहूँ, जौ, सरसों, मैथी, चना आदि।	

निविदा की शर्त :-

- हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई-गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप में करवाई जा सकती है।
- बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होंगे। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होंगे।
- खड़ी फसल में हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल में निराई-गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने तक के सभी कार्य करने होंगे।
- फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
- हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद 1000/- प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
- बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, डीजल, कीटनाशी इत्यादि) एवं ट्रैक्टर मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणों, ओजारों, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख-रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
- बीज उत्पादन हेतु समस्त शक्य क्रियाये फार्म मैनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिकों व ओजारों की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
- फार्म की चोकीदारी, पशु-पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस-पास की सफाई हिस्साधारक को दिन व रात में करनी होगी।
- उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
- व्यवसायी उत्पादन में हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
- थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम में रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख में करवाना होगा।
- यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

Ray
Dean

College of Agriculture
(SKN) Fatehpur
Fatehpur

14. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी के 7 दिन बाद तक के उच्चतम मण्डी भाव के औसत अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
15. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होंगे।
16. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
17. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
18. मौसम या अन्य कारणों से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य शर्तों को भी शामिल कर सकते हैं।
20. केन्द्र द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार में रखने के एक माह में हिस्सा राशि संबंधित हिस्सादार को अदा की जाएगी।
21. निराई गुड़ाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा।
22. थ्रेसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी / फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
23. फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना) का कार्य फार्म प्रभारी / प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
24. प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
25. दर शब्दों व अंकों में लिखें। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
26. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी / प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है।
27. अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिक हिस्सेदारी प्रतीत होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
28. इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


अधिष्ठाता

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

Dean
College of Agriculture
(Sri A.P.J. K. Reddy University)
Fatehpur

कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो. नं.:-

आधार सं.